ब्रीफ न्यूज़

गर्भावस्था में नियमित जांच मां और शिशु के स्वास्थ्य के लिए जरूरी

भोपाल। भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (बीएमएचआरसी), में शुक्रवार को स्वास्थ्य केंद्र क्रमांक 6 में गर्भ संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ताओं के रूप में डॉ. माधुरी चंद्रा ने ''गर्भावस्था के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें'' और डॉ. रोमा रस्तोगी ने ''गर्भावस्था के दौरान परीक्षणों का महत्व'' विषयों पर अपने विचार और विशेषज्ञता साझा की। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ माधुरी चंद्रा ने कहा कि गर्भावस्था के दौरान प्रत्येक तिमाही में नियमित स्वास्थ्य जांच कराना मां और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। गर्भवती महिलाओं को समय-समय पर चिकित्सक के पास जाकर अपना नियमित परीक्षण जैसे कि सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट कराना आवश्यक है। बीएमएचआरसी की प्रभारी निदेशक डॉ मनीषा श्रीवास्तव ने कहा कि गर्भ संस्कार जैसे कार्यक्रम समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। केंद्र समन्वयक डॉ रोमा रस्तोगी ने कहा ने कि गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण के बाद अपने खान-पान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम में शामिल गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार किट का वितरण किया गया।

युवक पर किया चाकुओं से हमला

भोपाल। कोतवाली इलाके स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में एक युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वारदात 27-28 मई की दरमियानी रात करीब तीन बजे की है। पुलिस के अनुसार, ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में दो युवक देर रात साथ बैठकर नशा कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में युवक के सीने, पीठ और पेट पर कई गहरे घाव आए है। चाकू लगते ही घायल युवक लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने हमलावर का पीछा करने की कोशिश की। आरोपी युवक मंगलवारा थाने के कॉर्नर तक भागा। वह पुलिस वाहन देखकर गली में छिपते हुए मौके से फरार हो गया, जबकि घायल युवक वहीं गिर पड़ा। राहगीरों ने घायल को गंभीर हालत में हमीदिया अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। एएसआई राकेश गुर्जर ने बताया कि घायल युवक को अभी तक होश नहीं आया है, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में पूरी वारदात कैद हुई है। फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

ड्राइवरों के लिए तंबाकू-नियंत्रण जागरूकता अभियान चलाया

भोपाल। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पूर्व संध्या पर, देवास-भोपाल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हाईवे ड्राइवरों और परिवहन कर्मियों के बीच स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता अभियान 'तंबाकू छोड़ो, स्वस्थ ज़िंदगी के सफ़र से जुड़ो' की शुरुआत की गई। इस अभियान के अंतर्गत एम्स भोपाल के चिकित्सा विशेषज्ञ तन्मय जोशी द्वारा एक हाईवे के ढाबे पर विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया, जिससे तंबाकू की लत और स्वास्थ्य से जुड़ी खुली चर्चा के लिए एक परिचित और सहज वातावरण तैयार हो सका। इस सत्र में ट्रक चालकों और परिवहन कर्मियों ने भाग लिया और तंबाकू सेवन से जुड़े दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिमों तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व पर विचार-विमर्श किया। डॉ. जोशी ने ड्राइवरों से न केवल एक डॉक्टर के रूप में, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में संवाद किया जो नशे के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभावों को गहराई से समझते हैं। उन्होंने तंबाकू सेवन से होने वाले दीर्घकालिक नुकसान, लत के पीछे के व्यवहारगत कारणों और तंबाकू को धीरे-धीरे कम करके छोड़ने के व्यवहारिक उपायों पर प्रकाश डाला।

दुबे बने ITI बैरसिया के सांसद प्रतिनिधि

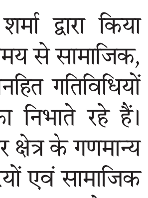

भोपाल। बैरसिया निवासी समाजसेवी एवं व्यवसायी दीपक दुबे को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) बैरसिया की संस्था प्रबंधन समिति में सांसद प्रति निधि मनोनीत किया गया है। यह मनोनयन भोपाल सांसद आलोक शर्मा द्वारा किया गया। दुबे लंबे समय से सामाजिक, व्यापारिक एवं जनहित गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उनके मनोनयन पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, व्यापारियों एवं सामाजिक संगठनों ने हर्ष व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी हैं।

ट्रेनों में बिना लाइसेंस वेंडरों का कब्जा, सिंडिकेट बनाकर करते काम

अवैध वेंडिंग पर किसका संरक्षण मुसाफिरों की सेहत से खिलवाड़

● भोपाल / राज न्यूज नेटवर्क

पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल में ट्रेनों के अंदर अवैध वेंडिंग खूब फल फूल रहा है। बताया जा रहा है कि यह पूरा नेटवर्क कथित तौर पर कुछ ठेकेदारों से संगठित रूप से संचालित हो रहा है। हलाकि विभाग को कई बार शिकायतें मिलने के बावजूद कार्रवाई केवल औपचारिक नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार, भोपाल मंडल के कई प्रमुख रूट्स पर बिना लाइसेंस के वेंडर खुलेआम ट्रेनों में खाद्य सामग्री और अन्य सामान बेचते देखे जा सकते हैं। इन वेंडरों को ट्रेन में चढ़ने और व्यापार करने की खुली छूट रहती है। आरपीएफ और रेलवे के नाक के नीचे यह व्यापार चल रहा है।

जानकारी के मुताबिक, अवैध वेंडिंग का यह नेटवर्क पूरी योजना के साथ चलता है। उन्हें पकड़े जाने का कोई डर नही होता है। इसीलिए अवैध वेंडर कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे है। रेलवे के आधिकारिक प्लेटफॉर्म और ऐप पर पिछले डेढ़ साल में इस संबंध में सैकड़ों शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में कार्रवाई कागजों तक ही सीमित रही। कई बार मामूली जब्ती दिखाकर फाइल बंद कर दी जाती है।

यात्रियों की सेहत और सुरक्षा पर खतरा

यात्रियों का कहना है कि बिना लाइसेंस के वेंडर घटिया और असुरक्षित खाद्य सामग्री बेचते हैं, साथ ही रेलवे नियमों से महंगे दामों पर सामान बेचा जाता है। इसके साथ ही खाने की जांच और अन्य चीजों की जांच भी नहीं होती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरा बना रहता हैं। साथ ही, ट्रेनों में अनधिकृत रूप से घूमने वाले ये लोग सुरक्षा के लिहाज से भी जोखिम पैदा करते हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पकड़े जाने पर भी कई वेंडर आसानी से छूट जाते हैं।

इटारसी और बीना के बीच रहता है ठिकाना

इटारसी से रानी कमलापति (आरकेएमपी) स्टेशन के बीच ट्रेनों में अवैध वेंडिंग का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। वहीं, बीना से इटारसी के बीच सैकड़ों अवैध वेंडर खुलेआम सामान बेचते देखे जा सकते हैं। इटारसी और बीना बड़े रेलवे के जंक्शन है। इटारसी मुंबई दिल्ली रूट का प्रमुख जंक्शन है वहीं बीना दिल्ली -सतना - भोपाल लाइन का बड़ा जंक्शन है इसलिए सबसे ज्यादा वेंडरों के ठिकाने यही रहते हैं।

पकड़े नहीं जाते

आरपीएफ और रेलवे स्टाफ के सामने ये अवैध वेंडर खुलेआम सामान की बिक्री करते हैं, लेकिन पकड़े नहीं जाते है। ट्रेन या स्टेशन पर जब कोई घटना हो जाती है तब रेलवे को इन अवैध वेंडरों की याद आती है। इसी वजह से बिना अनुमति के प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में खानपान व अन्य सामान की बिक्री बेखौफ जारी है। यह गतिविधियां लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करने के बजाय अनदेखी कर रहा है।

रेलवे को राजस्व का नुकसान

सूत्रों के मुताबिक ट्रेनों में सामान बेचने के लिए अवैध वेंडिंग एक संगठित तरीके से संचालित हो रही है। इसमें मुख्य ठेकेदार हर वेंडर से रोजाना 300 से 500 रुपये तक वसूलता है। एक ठेकेदार लगभग 15 से 20 लड़कों को अलग-अलग ट्रेनों में बिक्री के लिए भेजता है। ये वेंडर बिना अधिकृत अनुमति के खानपान और अन्य सामान यात्रियों को बेचते हैं। हैरानी की बात यह है कि हर ट्रेन में 3 से 4 आरपीएफ के जावान निगरानी करते हैं, इन निगरानी के बाद भी अवैध वेंडरों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे रेलवे को राजस्व का नुकसान हो रहा है।

इनका कहना है

समय समय पर अवैध वेंडिंग के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही होती है। भोपाल सहित मंडल के सभी स्टेशनों पर वेंडरों के लिए कार्ड अवांटित किये गए है। यदि ट्रेन या स्टेशन में कोई भी वेंडर बिना पहचान पत्र के मिलता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होती है।

■ **नवल अग्रवाल,** पीआरओ रेलवे भोपाल मंडल

कलेक्टर मिश्रा ने ग्रामीण क्षेत्र के किसानों से किया संवाद

● भोपाल / राज न्यूज नेटवर्क

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने शुक्रवार को जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर प्रगतिशील किसानों के प्रक्षेत्रों का अवलोकन किया। उन्होंने जैविक खेती, आधुनिक उद्यानिकी, पॉलीहाउस तकनीक, विदेशी फलों की खेती तथा गौ-सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए किसानों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को किसानों की समस्याओं के समाधान तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

ग्राम परवलिया सड़क में कलेक्टर मिश्रा ने प्रगतिशील कृषक मनोहर पाटीदार के प्रक्षेत्र का भ्रमण किया। उन्होंने 10 एकड़ क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति से की जा रही जैविक खेती, वर्मी कम्पोस्ट इकाई, गोबर गैस संयंत्र तथा आम एवं चीकू के बागानों का अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि पाटीदार

भोपाल हॉर्टिकल्चर सोसायटी के गठन का दिया सुझाव

जैसे किसान अन्य कृषकों के लिए प्रेरणा हैं, जो स्वयं जैविक खेती करने के साथ-साथ अन्य किसानों को भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। बरखेड़ा बोदर में ही कलेक्टर ने कृषक राम सिंह कुशवाहा एवं अन्य किसानों से संवाद किया। यहां छह एकड़ क्षेत्र में क्लस्टर आधारित पॉलीहाउस तकनीक से जरबेरा कट फ्लावर की उन्नत खेती की जा रही है। कलेक्टर ने किसानों को संगठित होकर भोपाल हॉर्टिकल्चर सोसायटी के गठन का सुझाव दिया।

नई तकनीक अपनाकर उत्पादकता बढ़ाएं किसान

भोपाल। किसानों की आय वृद्धि, कृषि उत्पादकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएट), बरखेड़ीकलां में कृषि एवं कृषि से संबद्ध विभागों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों, नवाचारों और वैज्ञानिक पद्धतियों का समावेश समय की आवश्यकता है। प्रगतिशील किसान नई तकनीकों को अपनाकर न केवल अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, बल्कि कृषि को लाभकारी एवं टिकाऊ व्यवसाय के रूप में विकसित कर आर्थिक आत्मनिर्भरता भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कृषक कल्याण वर्ष-2026 के लिए शासन द्वारा निर्धारित संकेतकों पर विशेष ध्यान देते हुए विभागवार मासिक कार्ययोजना तैयार कर लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि धरती माता बचाओ अभियान के अंतर्गत जिले में नरवाई प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे किसानों से संवाद किया ।

दबंगईः कॉलेज संचालक ने विवि में घुसकर प्रोफाइल अपडेट करने का बनाया दबाव

बागसेवनिया थाने में शिकायत दर्ज,एआर ने रखी सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग

● भोपाल / राज न्यूज नेटवर्क

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) में कालेज संचालक द्वारा अपने कॉलेजों की प्रोफाइल जबरन अपडेट कराने और प्रशासनिक अधिकारी के साथ बदसलूकी करने और मारपीट के प्रयास का एक गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में शुक्रवार को ही बरकतउल्ला के अकादमिक शाखा के अधिकारी डॉ० पुनीत शुक्ला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही सुरक्षा की मांग भी की है। शिकायत के अनुसार अभिलाषा महाविद्यालय, एसएस महाविद्यालय और मौलाना आज़ाद महाविद्यालय के संचालक खालिद हसन और उनके साथियों पर विश्वविद्यालय की अकादमिक शाखा के प्रभारी डॉ० पुनीत शुक्ला के साथ उनके दफ्तर में घुसकर शासकीय कार्य में बाधा डालने, अभद्रता करने, प्रोफाइल अपडेट करने का दबाव बनाने और धमकी देने का आरोप लगा है।

दरअसल, बरकतउल्ला विवि ने विगत दिनों बीएड कॉलेजों का निरीक्षण कराया था, जिसमें करीब 30 कॉलेजों में गंभीर अनियमितताएं और कमियां पाई गई थीं। आज जो विवाद की स्थिति निर्मित हुई है, वे कॉलेज भी विश्वविद्यालय की इसी सूची में शामिल हैं।

शिकायत पत्र में उल्लेख है कि शुक्रवार शाम को डॉ० शुक्ला अपने विभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ कार्य कर रहे थे। इसी दौरान इन तीनों कॉलेजों के संचालक खालिद हसन अपने कुछ साथियों के साथ आ धमके और ज़बरन अपनी फाइलें अपडेट और सत्यापित करने का अनुचित दबाव बनाने लगे। जब अकादमिक प्रभारी ने नियमों के खिलाफ काम करने से साफ मना कर दिया, तो आरोपियों ने उनके साथ बेहद अभद्र व्यवहार किया, मनगढ़ंत आक्षेप लगाए और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए उन पर हमला करने (मारपीट) का भी प्रयास किया।

प्रभारी डॉ० शुक्ला ने पुलिस से आरोपियों पर तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करने और निवास व कार्यालय के लिए सुरक्षा देने की मांग की है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस शिकायत की प्रतिलिपि भोपाल पुलिस कमिश्नर को कार्यवाही हेतु दी गई है। बीयू के कुलगुरु और कुलसचिव को भी सूचनार्थ कॉपी प्रेषित की गई है।

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लातेहार

अल्पकालीन ई- पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा संख्या :- 05/R2/2024-25/EE/RWD/LATEHAR दिनांक : 29.05.2026

क्र0	आईडेंटी फिकेशन सं0/पैकेज सं0	प्रखंड	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में) अंक में	अक्षर में	कार्य समाप्ति की तिथि	टेंडर कॉल
2	RWD/LATEHAR21/2024-25	बरवाडीह	ग्राम पंचायत छेंचा पंचायत भवन पी0डब्लू0डी0 रोड से आंगनबाड़ी होते हुए कोयल नदी तक पथ निर्माण।	342.804	रू0 तीन करोड़ बेयालीस लाख अस्सी हजार चार सौ रूपये मात्र।	15 माह	तृतीय

1. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि : 05.06.2026
2. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय : 13.06.2026 अपराह्न 5:00 बजे तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 15.06.2026 अपराह्न 03:30 बजे।
4. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लातेहार पिन – 829206
5. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0 – 06565245038

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट www.jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, लातेहार

PR 381054 (REO)26-27*D

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल
जोन क्र.15 यांत्रिक विभाग

निविदा आमंत्रण घोषणा पत्र

क्र. 399/या. वि./2026 दिनांक... 29/5/26

निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु लिफाफा पद्धति के अनुसार म.प्र लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय कृत व्यवस्था के अंतर्गत पंजीक ठेकेदार पर्सेंटेज मोहर बंद निविदायें निर्धारित प्रपत्र पर ऑनलाइन आमंत्रित की जाती हैं।

क्र.	ऑनलाईन टेण्डर नं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	धरोहर राशि	प्रपत्र राशि	कार्य हेतु निर्धारित SOR	कार्य की अवधि
1	2026_UAD_505616_2	CONSTRUCTION OF SHED AT SHIV MANDIR MANAK VIHAR WARD 64 ZONE 15.	2,54,229/-	2,542/-	2000/-	MPUADD ISSR 2021	02 Months
2	2026_UAD 505696_2	CONSTRUCTION OF SHED AT NEAR NCC GROUND WARD 63 ZONE 15.	2,54,229/-	2,542/-	2000/-	MPUADD ISSR 2021	02 Months
3	2026_UAD 505717_2	CONSTRUCTION OF SHED NEAR BHAIYA LAL HOUSE 100 QUATER PIPLANI WARD 63 ZONE 15.	2,53,389/-	2,534/-	2000/-	MPUADD ISSR 2021	02 Months
4	2026_UAD 505929_2	CONSTRUCTION OF RCC DRAIN AT GUPTA COLONY WARD 64 ZONE 15.	84,387/-	1,688/-	1000/-	MPUADD ISSR 2021	02 Months
5	2026_UAD 505974_2	CONSTRUCTION OF RCC DRAIN AT RAJEEV NAGAR A SECTOR WARD 67 ZONE 15.	84,213/-	1,684/-	1000/-	MPUADD ISSR 2021	02 Months
6	2026_UAD 500441_4	PROVIDING AND FIXING OF CI BENCHES ZONE 15. AT DIFFERENT PLACES OF WARD 64	1,63,800/-	3,276/-	1000/-	MPUADD ISSR 2021	02 Months
7	2025_UAD 468029_2	CONSTRUCTION OF RCC DRAIN WORK NEAR C3 FITNESS CLUB MANAK VIHAR W-64 Z-15.	10,42,530/-	7,819/-	2000/-	MPUADD ISSR 2021	02 Months

1-निविदा प्रपत्र की निर्धा रित राशि धरोहर राशि एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे एवं अन्य समस्त विस्तृत जानकारी www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।
2-किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा।

सहायक यंत्री (सिविल)
नगर निगम, भोपाल

नि.क्र. 249/026/027

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA

निविदा सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्त व नियम 8 (6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति की नीलामी विक्रय सूचना

आमजन तथा एवं व्यक्ति विशेष देनदारों तथा जमानती को सूचित किया जाता है कि निम्न उल्लेखित प्रत्याभूत ऋणदाता की गिरवी / प्रभारित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था, प्रत्याभूत ऋणदाता ''जैसे है जहाँ है'' जो भी और जैसा भी है के आधार पर विक्रय करने जा रहे हैं। प्रकरणों का विशेष विवरण इस प्रकार हैं-

ऋणी/सह-ऋणी/जमानती/बंधककर्ता का नाम	बकाया राशि दिनांक	13(2) डिमांड नोटिस की राशि व दिनांक	कब्जे की दिनांक	संपत्ति का विवरण (प्रतिभूति आस्ति)	संपत्ति का आरक्षित मूल्य	संपत्ति की धरोहर राशि	निविदा खोले जाने की तिथि व समय	निविदा खोलने, जमा कराने व नीलामी का स्थान आवास फाईनेंसियर्स लि.
दीपचन्द पारोचे, लीना पारोचे **खाता सं. : 231204302892383**	₹ 13,06,201.00/- बकाया दिनांक 29 मई 2026	05 अगस्त 2025 ₹ 1148815/- बकाया दिनांक 04 अगस्त 2025	27 अक्टूबर 2025	प्लॉट/प्लॉट नं-01, खसरा नं. 96/1/1, 96/2, 109/1/1 व खसरा नं. 96/1/1/6, 96/2, 109/1/1 का भाग, आर.एन.एम 02, ब्लॉक फंडा गांव-पिपलिया में स्थित,तहसील-हुजुर जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश (भारत) -462037 **क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट**	₹ 1584000/-	₹ 158400/-	प्रातः11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दिनांक 30 जून 2026	दुकान नं. 5 व 6, पहली मंजिल, अल्टीमेट आर्केडा, कोलार रोड, भोपाल-462041 मध्य प्रदेश-भारत

निविदा की शर्तें : 1. निविदा में सहभागिता करने हेतु इच्छुक खरीददार अपनी निविदा शाखा में उपलब्ध निविदा प्रपत्र जो कार्य दिवस के समय शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं, में अपने द्वारा निवेदित मूल्य लिखकर सीलबंद लिफाफे में जिसके ऊपर ''टेण्डर ऑफर सम्पत्ति का विवरण'' लिखा हो के साथ उपरोक्त वर्णित धरोहर राशि के चैक/बैंकर्स चैक/माँग ड्राफ्ट जो कि प्राधिकृत अधिकारी, आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड के पक्ष में जयपुर में देय हो, नीलामी से पहले कार्य दिवस के दौरान आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड के उपरोक्त पते पर जमा करा कर निविदा में भाग ले सकते हैं। प्राप्त निविदाएं आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड के उपरोक्त पते पर उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात निविदाकर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि बोली सफल नहीं होती है तो असफल निविदाकर्ताओं को उसी दिन धरोहर राशि लौटा दी जायेगी। 2. सफल निविदाकर्ता को 25 प्रतिशत राशि (धरोहर राशि सहित) प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सफल निविदाकर्ता के नाम की उद्घोषणा करने के तुरन्त पश्चात, जमा करवाना होगा तथा शेष राशि विक्रय की पुष्टि के दिन से 15 दिन के अन्दर जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा जमा राशि बिना सूचना बैंक में जब्त समझी जायेगी। 3. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताये बोली स्वीकार अथवा अस्वीकार करने या निविदा स्थगित करने का पूर्ण अधिकार है। निविदा जमा कराने व निविदा खोलने वाली दिनांक को राजकीय अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस वाले दिन होगी। 4. सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु सम्पत्ति अथवा निविदा से संबंधित जानकारी हेतु इच्छुक निविदाकर्ता, आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड 201-202, दूसरी मंजिल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302020 **सुरेश कुमार-7877607513** **नोटः-** यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ताके लिए भी नियम 9 (1)/8(6) के अधीन 15/30 दिवस का सूचना पत्र माना जायेगा कि यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा नहीं की जाती है तो उक्त संपत्ति निविदा द्वारा उपरोक्त दिनांक पर ही विक्रय की जाएगी।

स्थान : मध्य प्रदेश **दिनांकः 30.05.2026** **प्राधिकृत अधिकारी आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड**

प्ररूप-ग्यारह
(नियम 9 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व की उगाही) नियम, 2020
न्यायालय तहसीलदार, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
स्थावर संपत्ति के विक्रय की उद्घोषणा
(मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (1) (ग) के अधीन)

क्योंकि नीचे वर्णित स्थावर संपत्ति, श्री वसीम पटेल बिल्डकॉन इण्डिया प्रा.लि. पताः एफ-46, यशवंत प्लाजा, रेलवे स्टेशन के सामने, इंदौर, पर भूराजस्व (रेरा बसूली) के के लेखे में, निम्न तालिका अनुसार प्रकरणों में राशि रुपए 31,76,019 (इकत्तीस लाख, छियत्तर हजार, उन्नीस रूपये) बकाया राशि पर ब्याज (राशि अदा करने की तिथि तक ब्याज सहित) बकाया है। निम्न तालिका अनुसार प्रकरणों में वसूली की जाकर, समक्ष कॉलम 3 में अंकित आवेदकगणों को, कॉलम 4 में अंकित आर.आर.सी. क्रमांक के अनुसार, कॉलम 6 में अंकित राशि व कॉलम 5 में अंकित आदेश दिनांक से ब्याज सहित, राशि का भुगतान किया जाना है-

क्र.	प्रकरण क्रमांक	आवेदकगण	रेरा आर.आर. सी. क्र.	आर.आर.सी. आदेश दिनांक	आदेश दिनांक तक बसूली योग्य राशि एवं ब्याज पृथक से
1	2	3	4	5	6
1	0005/अ-16/2023-24	श्री विधुराज ढींगरा, निवासी एच-42, बधीरा अपार्टमेंट, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल	N-RSN-19-0644	26-03-2025	12,72,487/- (बारह लाख, बहत्तर हजार, चार सौ, सतासी रूपये)
2	0018/अ-16/2025-26	रामकिशोर बारपेटे निवासी म.नं. 42 वैष्णो परिसर फेस-1 संत आशाराम नगर बागसेवनिया भोपाल म०प्र०	M-OTH-18-0740	26-03-2025	11,03,532/- (ग्यारह लाख तीन हजार पांच सौ बत्तीस रूपये)
3	0019/अ-16/2025-26	रियल एस्टेट रेगुलरिटी अथोरिटी भोपाल म.प्र.	MRC/252/ 18	22-06-2020	5,00,000/- (पांच लाख रूपये)
4	0020/अ-16/2025-26	रियल एस्टेट रेगुलरिटी अथोरिटी भोपाल म.प्र.	MRC/237/ 18	03-07-2020	1,00,000/- (एक लाख रूपये)
5	0022/अ-16/2025-26	रियल एस्टेट रेगुलरिटी अथोरिटी भोपाल म.प्र.	MRC/53/19	05-07-2021	1,00,000/- (एक लाख रूपये)
6	0024/अ-16/2025-26	रियल एस्टेट रेगुलरिटी अथोरिटी भोपाल म.प्र.	MRC/271/ 18	01-07-2020	1,00,000/- (एक लाख रूपये)
		कुल बसूली योग्य राशि 31,76,019 / (इकत्तीस लाख, छयत्तर हजार, उन्नीस रूपये)+ब्याज			31,76,019/-+ब्याज

एतद्वारा उद्घोषणा की जाती है कि यदि इसमें विक्रय के लिए नियत दिनांक से पूर्व उपरोक्त संपूर्ण राशि का भुगतान, उक्त आवेदकगण को नहीं कर दिया जाता है तो निम्न संपत्ति का विक्रय, स्थान न्यायालय तहसीलदार गौहरगंज जिला रायसेन के सभाकक्ष में दिनांक 02 जून 2026 को दोपहर 1.00 बजे या उसके लगभग सार्वजनिक नीलामी द्वारा कर दिया जाएगा।

विक्रय का विस्तार केवल निम्न संपत्ति में उक्त बकायादार के अधिकारों, हकों तथा हितों तक सीमित होगा।

संपत्ति के ब्यौरे

क्रमांक	विवरण		भूमि का बाजार मूल्य वर्ष 2025-26 के अनुसार नीलाम की न्यूनतम राशि	वसूली हेतु राशि
1	(2) विक्रय हेतु सम्पत्ति		3	4
1	तहसील गौहरगंज स्थित ग्राम कीरतनगर खसरा क्रमांक 37/1, 38, 42/253, 43, रकवा क्रमशः 1.214, 0.737, 5.593, 2.023 कुल 4 किता रकवा 9.567 हेक्टेयर भूमि पर स्थित गुलमोहर पार्क के प्लाट क्र	ई-34 क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट ई-75 क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट ई-76 क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट	464,684/- रूपये 464,684/- रूपये 464,684/- रूपये	31,76,019/(इकत्तीस लाख, छियत्तर हजार, उन्नीस रूपये) + ब्याज
2	तहसील गौहरगंज स्थित ग्राम रोजडाचक्र के खसरा क्रमांक 3/5 कुल रकवा 2.841 हेक्टेयर भूमि पर स्थित ग्रीन पार्क के प्लाट क्र	डी-14 क्षेत्रफल 2400 वर्गफिट	1,249,070/- रूपये	

यदि नीलामी की कार्यवाही किसी कारणवस निर्धारित दिनांक 02 जून 2026 को सम्पन्न नहीं की जा सकेगी तो अगले कार्य दिवस में नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी।

इश्तहार आज दिनांक 18 मई 2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया।

मुद्राः
तारीख : 18/05/2026 **G-13653/26** "स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता"

तहसीलदार
तहसील गौहरगंज
जिला-रायसेन

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

GRIHUM HOUSING FINANCE — Apna Ghar. Apni Pehchan.

पंजीकृत कार्यालयः छठा तल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014 शाखा कार्यालय इकाईः प्रथम तल, वार्ड नं. 17, पी.एच. नं. 75, पंजाबी मोहल्ला, गुना, पोस्ट तहसील एवं जिला-गुना- 473001 मध्य प्रदेश

ई-नीलामी – बिक्री सूचना
सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्तियों का बिक्री

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित।

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर(यों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे अधिनियम के अनुसार आगे "सुरक्षित लेनदार" कहा जाएगा)** को गिरवी रखी गई हैं, जिसका कब्जा अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसरण में सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। सुरक्षित संपत्तियाँ **"जहाँ है जैसी है", "जैसी है वैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर 19-06-2026** को ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाएँगी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम https://www.bankeauctions.com वेबसाइट पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं।

बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, कृपया GHFL/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक का संदर्भ देखें।

सं. क्रं.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (बी)	कब्जे की प्रकृति (सी)	संपत्ति का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	ईएमडी जमा करने की तिथि (जी)	वृद्धिशील बोली (एच)	संपत्ति निरीक्षण का दिनांक एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि और समय (जे)	ज्ञात भार/न्यायालयीन मामले, यदि कोई हों (के)
1	लोन नंबर HL00591000000005024196 अमित प्रजापति (कर्जदार) भूरी बाई (सह-कर्जदार)	नोटिस की तारीखः 09-10-2025 कुल बकायाः रुपये 557189/- (सिर्फ पाँच लाख सत्तावन हजार एक सौ नवासी रुपये) 09-10-2025 तक और साथ में 15.1% सालाना ब्याज, वसूली तक।	भौतिक	पी.एच. नं. 65 का पूरा भाग न्यू 08, सर्वे नंबर 1024/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, वार्ड नंबर 35, खेजड़ा चौकी रेलवे पटरी के पार के उस पार कैंट गुना तहसील और जिला गुना (म.प्र.) एरिया 600 वर्ग फुट और **प्लॉट की बाउंड्री** पूर्व-प्लॉट नंबर 167. पश्चिम-प्रस्तावित सड़क चौड़ी 20 फुट उत्तर-प्लॉट नंबर 166 का बाकी हिस्सा दक्षिण-ऑर्डर की जमीन	रु. 777000.00/- (रुपये सात लाख सतत्तर हजार मात्र)	रु. 77700.00/- (रुपये सतत्तर हजार मात्र)	29-06-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	16-06-2026 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	30-06-2026 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	निरंक

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों पर जाएँ, अपनी स्वयं की जाँच करें और अतिरिक्त शुल्क, भार और किसी भी तृतीय-पक्ष के हितों का पता लगाएँ और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं से स्वयं संतुष्ट हो लें। संपत्ति कर, बिजली/पानी के बिल और संपत्ति से जुड़े अन्य सभी बकाया, यदि कोई हों, जैसे सभी वैधानिक बकाया, सफल बोलीदाता द्वारा पता लगाकर चुकाए जाने चाहिए।

इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा और नीलामी सेवा प्रदाता (सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) पता- प्लॉट संख्या-68, तीसरी मंजिल, गुड़गांव, हरियाणा-122003। हेल्पलाइन नंबर-7291981124,25,26 सहायता ईमेल आईडी-Support@bankeauctions.com, संपर्क व्यक्ति-धरणी पी, ईमेल आईडी-dharni.p@c1india.com संपर्क नंबर-9948182222 से लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है, पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता तभी से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक खरीदार/बोलीदाता को बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। एनईएफटी/आरटीजीएस ''गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड-नीलामी आय खाता,'' बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड खाता संख्या-091551000028 और आईएफएससी कोड- ICIC0000915, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44, विमन नगर-411014 के खाते में किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से **29-06-2026** से पहले जमा करें और https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करें और निःशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी का प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां ई-मेल पर अपलोड करवानी होंगी और स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी पते पर भेजनी होगी: **पताः प्रथम तल, वार्ड नं. 17, पी.एच. नं. 75, पंजाबी मोहल्ला, गुना, पोस्ट तहसील एवं जिला-गुना- 473001 मध्य प्रदेश मोबाइल नंबर +91 8281138143 ई-मेल आईडी** p.adith@grihumhousing.com **नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया ई-नीलामी में भाग लेने के लिए** https://www.bankeauctions.com **और** www.grihumhousing.com **पर जाएँ।**

इस सूचना को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर को 30 (तीस) दिन का नोटिस भी माना जाना चाहिए।

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की सामग्री में कोई अंतर है, तो फ्री प्रेस जर्नल में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की सामग्री मान्य होगी।

दिनांकः 30.05.2026 स्थानः गुना **हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**